

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी**

पंचायतीव्यवस्था अधिकारी - मुख्यालय विधेय (आर ए ए.)

राजस्व वाद संख्या - 75./2023  
 दिनांक - 08.06.2023

जी सी एच एस नम्बर - 2023/153  
 निर्णय दिनांक - 17.07.2023

1. स्वामी मन्नी महम्मद जाते केमनाई भेवासी नया तहसील बाप जिला फलोदी

-वादी

**इनाम**

- 1. सैफत मुन्ना मुठ सदीप जाते केमनाई भेवासी नया तहसील बाप जिला फलोदी (दिलोपित)
- 2. अमीर बबी मन्नी सदीप जाते केमनाई भेवासी नया तहसील बाप जिला फलोदी (दिलोपित)
- 3. अमोता मुझे सदीप जाते केमनाई भेवासी नया तहसील बाप जिला फलोदी (दिलोपित)
- 4. सर्वान मुझे सदीप जाते केमनाई भेवासी नया तहसील बाप जिला फलोदी (दिलोपित)
- 5. नज्म नरकाश जाते तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
- 6. मुषा मन्नी केमनाई नौदार जाते केमनाई भेवासी इशमगर तहसील बाप जिला फलोदी
- 7. सुनील मुन्ना मुठ इशमगर जाते केमनाई भेवासी इशमगर तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 138 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955**

उपस्थित :- 1. श्री मदनसिंह माटी अधिवक्ता वादी  
 2. मैराकार सरकार तहसीलदार बाप

**- निर्णय :-**

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 138 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का इस आग्रह में प्रार किया कि ग्राम नया पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 689/1 स.ब. 7, 1962 हेक्टर वादी एवं प्रतिवादीगण को संयुक्त कास्त मुनि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त मुनि से संबंधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त मुनि में वादी व प्रतिवादीगण का हिस्से अनुसार कब्जा कास्त रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने उक्त वादग्रस्त मुनि का नौका पर आपसी सहमति से हिस्से मारिक बंटवादा कर लिया था।

वादी का वाद उक्त रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन उत्तर किया गया। प्रतिवादीगण स. 6 व 7 को और स. काई उपस्थित नहीं आये। लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रादली में अधिवक्ता वादी को बहस सुनकर ग्राम नया पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 689/1 स.ब. 7, 1962 हेक्टर मुनि का हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिटर्मी जाये की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पत्र किया गया जो शामिल पत्रादली किया गया। पत्रादली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी को बहस अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अदलाकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं मारिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जाय साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव



सहायक कलेक्टर  
 ब.म. (उपखण्ड)

के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

### क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खसरा नम्बर 689/1 रकबा 7.0962 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 6 व 7 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	रोशनी पत्नी मोहनराम जाति विश्‍नोई सा. देह खातेदार	नेवा	689/1	4.2589 हैक्टेयर	बी-4
2	पुष्पा पत्नी विशनाराम गोदारा 1/2 हिस्सा जाति विश्‍नोई सा. ईशरनगर, सुनील कुमार पुत्र हीराराम 1/2 हिस्सा जाति विश्‍नोई सा. ईशनगर (नेवा) खातेदार	नेवा	689/1	2.8393 हैक्टेयर	बी-4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर (अप एएस)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी)

## अंतिम डिगरी बमुकदमें इन्वटाई

(आर्टिकल 21 नियम 6 7 जास्ता पीठानी)

**अज्ञ अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी**  
पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

01 रोशनी फली मोहनराम जाति विश्णोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

-बाटी

### बनाम

- 01 रोहित कुमार पुत्र सटीप जाति विश्णोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी (दिलोपित)
- 02 अमी टरी फली सटीप जाति विश्णोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी (दिलोपित)
- 03 अमीला पुत्री सटीप जाति विश्णोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी (दिलोपित)
- 04 सतीप पुत्री सटीप जाति विश्णोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी (दिलोपित)
- 05 राज्य सरकार जिरये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
- 06 पुष्पा फली विश्वनाराम गोदारा जाति विश्णोई निवासी ईशरनगर तहसील बाप जिला फलोदी
- 07 सुनील कुमार पुत्र हीराराम जाति विश्णोई निवासी ईशरनगर तहसील बाप जिला फलोदी

-प्रतिवादी

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

**राजस्व वाद संख्या 75/2023**

यह मुकदमा आज दासो इन फिसाल करतई सबूत मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर मदनसिंह भाटी मिनजातिब मुदई व मिनजातिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में खससु नम्बर 689/1 रकबा 7.0962 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण सं 6 व 7 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म
1	रोशनी फली मोहनराम जाति विश्णोई सा. देह खातेदार	नेवा	689/1	4.2589 हेक्टेयर	बी-4
2	पुष्पा फली विश्वनाराम गोदारा 1/2 हिस्सा जाति विश्णोई सा. ईशरनगर, सुनील कुमार पुत्र हीराराम 1/2 हिस्सा जाति विश्णोई सा. ईशरनगर (नेवा) खातेदार	नेवा	689/1	2.8393 हेक्टेयर	बी-4

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 6 व 7 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।  
बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17.07.2025 को जारी की गई।



सुखाराम पिण्डेल (R.A.S.)  
सहायक कलक्टर  
बाप (फलोदी)

मुदय	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी बाबी स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।